न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 11/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 17.2.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 रामा आत्मज स्व0 रूपा जाति भील
2 छोटू आ0 स्व0 रूपा जाति भील
3 हुकमा आ0 स्व0 रूपा जाति भील
4 फौरू आ0 स्व0 रूपा जाति भील
5 केल्या आ0 स्व0 रूपा जाति भील
6 शंभू आ0 स्व0 रूपा जाति भील
7 मोहन आ0 स्व0 रूपा जाति भील
8 भोली पुत्री स्व0 रूपा जाति भील
9 संतोष पुत्री स्व0 रूपा जाति भील
10 धापू पुत्री स्व0 रूपा जाति भील
11 फुसबा बाई धर्मपत्नि स्व0 रूपा जाति भील
निवासी– ग्राम धनेश्वर थाना डाबी जिला बूंदी (राज0)

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी (राज0)
2 जिला कलक्टर, बूंदी (राज0)

.....रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 9.11.2020

अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा मिसल संख्या 52/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 बउनवान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी बनाम स्व0 श्री रूपा आ0 गेन्दया जाति भील (मृतक) जरिये कायम मुकामान रामा आ0 स्व0 रूपा भील निवासी ग्राम धनेश्वर वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 17.4.2018 से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राज0 राज्य जरिये तह0 तालेडा के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी के यहां रूपा आ0 गेन्दया जाति भील को ग्राम धनेश्वर की ख0 संख्या 223/1055 रकबा 12 बीघा आवंटित कृषि भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु पेश किया गया। जिला कलक्टर बूंदी ने तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आवंटी रूपा आ0 गेन्दया जाति भील निवासी ग्राम धनेश्वर को किये गये आवंटन भूमि ख0 सं0 233/1055 रकबा 12 बीघा ग्राम धनेश्वर दिनांक 21.12.1975 को एतद्द्वारा निरस्त कर तहसीलदार तालेडा को उक्त विवादित भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज करने का दिनांक 17.4.2018 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि उक्त भूमि का

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलांट्स के स्वर्गीय पिता स्व0 रूपा को दिनांक 21.12.1975 को निःशुल्क आवंटन किया गया था। तब से उक्त भूमि पर अपीलांट्स के पिता व उनकी मृत्यु के उपरांत अपीलांट्स बतौर गैर खातेदार राजस्व रिकोर्ड दर्ज की जाकर लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सूचना व सुनवायी का अवसर दिये बगैर गलत रूप से नियम विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए तथा मौके पर गलत रिपोर्ट बनाकर उक्त खसरा नंबर सूरजमल बंसल बूंदी सिलिका कंपनी का कब्जा होना बताकर उसे नियम विरूद्ध मानते हुए अपीलांट के पिता के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलांट अनुसूचित जन जाति के ग्रामीण अनपढ व्यक्ति है। पिछले 8–10 माह से अपीलांट की भूमि पर बूंदी सिलिका कंपनी द्वारा जबरदस्ती पत्थर डालकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा हैं, जिसकी शिकायतें अपीलांट द्वारा उपर भी की गई थी। जबकि बूंदी सिलिका कंपनी की जमीन अपीलांट की कृषि भूमि से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है जिनका अपीलांट की भूमि से कोई लेना–देना नहीं हैं। उक्त कंपनी द्वारा भू–माफिया तरीके से झूठी कार्यवाही करवाकर उक्त आवंटन को निरस्त करवाया गया है। सन् 1975 का आवंटन जो लगभग 43 साल पुराना है, जो अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के नाम किया गया था, जिसे 43 वर्षों बाद निरस्त किया जाने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नहीं हैं। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् कानूनन अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने जाने एवं काश्तकारी अधिनियम लागू हो जाने से आवंटन के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं। हल्का पटवारी द्वारा मौके की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसे आधार मानकर बगैर सुनवाई का अवसर दिये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.04.2018 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 के जरिये नोटिस/सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 अभिभाषक अपीलांट्स ने दिनांक 06.02.2020 को प्रकरण में लिखित बहस पेश की गई जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के पिता व पति स्व0 रूपा जो कि अनुसूचित जन जाति का भूमिहीन काश्तकार होने से ग्राम धनेश्वर की ख0 नं0 223/1055 की 12 बीघा कृषि भूमि दिनांक 21.12.1975 को निःशुल्क आवंटित की जाकर दखल दिया गया जिस पर लगातार आवंटी एवं उसकी मृत्यु उपरांत उसके वारिसान अपीलांट कब्जा काश्त करते चले आ रहे है उक्त भूमि मृतक के वारिसान के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज की गई। अपीलांट ने कब्जा काश्त होने के संबध मे नकल खसरा गिरदावरी पेश की गई है। पटवारी हल्का ने कब्जे की गलत रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलांट्स का आवंटन लगभग 43 वर्ष पश्चात् दिनांक 17.04.2018 को गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध तरीके से खारिज दिया क्योंकि आवंटन के समय सही कब्जा काश्त अपीलांट का चला आ रहा है। कार्यवाही 14(4) के तहत छलकपट से करवाई गई है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् आवंटी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है। टीनेन्सी राईट प्राप्त होने पर 14(4) की कार्यवाही से अर्थात शर्तो की अवहेलना के आधार पर भूमि पर किसी का अतिक्रमण होने पर भी अतिक्रमी की सुविधा, सुरक्षा हेतु लम्बे समय का आवंटन खारिज नही किया जा सकता। तामील फर्जी रूप से बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने उक्त कथन कथन के समर्थन मे आरआरसी 2000 पेज 597, "दस वर्ष की अवधि के बाद आवंटी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है इन परिस्थितियों मे आवंटन निरस्त नही किया जा सकता" आरआरटी 2007 (2) पेज 1430 "40 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करना विधि सम्मत नही है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते"। आरआरटी 2009 (1) पेज 220 "32 वर्ष वाद आवंटी का कब्जा नही होने पर भी खारिज नहीं किया जा सकता। आरआरटी 2009 (1) पेज 238 " कब्जा नही होने पर आवंटन निरस्त करने का आदेश निरस्त कर आवंटन बहाल किया गया। डीएनजे 2017 (रेवे.) पेज .155 "अनुसूचित जाति के व्यक्ति के आवंटन को निरस्त किया। किसी अतिक्रमी की सुरक्षा हेतु आवंटन निरस्त नही किया जा सकता"। आरआरटी 2006–07 पेज 273 "शर्तो की अपालना की आड मे 16 वर्ष बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता"। आरआरटी 2009 (1) पेज 453 "खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के बाद विरोधी पक्ष के कब्जा होने के आधार पर काश्तकारी अधिकारी निरस्त नही किये जा सकते। आरआरडी 2007 पेज 480 अन्य अतिक्रमी नाजायज कब्जे के आधार पर विधिवत कमजोर भूमिहीन का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता" के न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.04.2018 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये कथन किया कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.07.2017 अनुसार आवंटित भूमि पर मौके पर आवंटी एवं उसके वारिसान का कब्जा काश्त् नहीं है तथा भूमि पर मौके पर मुकस्सर पत्थर के टुकड़े पडे हुये हैं तथा आंवटित भूमि में से लगभग 2 बिस्वा भूमि पर मकान निर्माण कार्य किया हुआ हैं। उक्त खसरा नंबर पर सूरजमल बंसल (बून्दी सिलिका कंपनी) का कब्जा होना बताया गया है। इस प्रकार आवंटित भूमि पर कृषि कार्य नहीं करके आवंटन शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित है अपील खारिज की जाने का अनुरोध किया।

5 पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश हैं। अतः प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने से पूर्व मियाद के बिंदु पर विचार किया जाना न्याायोचित हैं। अपीलार्थी द्वारा डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना–पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 10.12.2018 को बूंदी सिलिका कंपनी द्वार पत्थर डालने तथा भूमि सिवायचक होने की धमकी देने पर हल्का पटवारी से जानकारी करने पर हुई। प्रार्थना–पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों के समर्थन में अपीलांट्स द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया न हीं खण्डन में कोई आधार अभिलेख प्रस्तुत किये गये ऐसी स्थिति में शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं हैं। अतः अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से न्यायहित में डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया। जिला कलक्टर बूंदी की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि ग्राम धनेश्वर की ख0 नं0 223/1055 की 12 बीघा कृषि भूमि दिनांक 21.12.1975 को निःशुल्क आवंटित की जाकर दखल दिया गया था। पत्रावली मे उपलब्ध खसरा गिरदावरी संम्वत 2035–2038 सम्वत 2047–2050 सं0 2051–2054 तथा सम्वत 2055–2058 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित उक्त भूमि पर आवंटी द्वारा काश्त की गई है, जिससे आवंटी का कब्जा काश्त होना प्रकट होता है ऐसी स्थिति मे 43 वर्षो बाद पटवारी का यह कहना कि आवंटी का कब्जा नही है, बईमानी है। यहां यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि दिनांक 21.12.1975 को रूपा को उक्त भूमि आवंटित हुई थी, पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 13.7.2017 मे आवंटी का कब्जा काश्त नही होना बताया तो भी आज पटवारी द्वारा किस आधार पर अन्य व्यक्ति सूरजमल बंसल (बून्दी सिलिका कंपनी) का कब्जा होना बताया गया है, यह तथ्य समझ से परे है। यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आवंटी को जब 1975 मे मौके पर भूमि पर पजेशन दे दिया गया था तब से भूमि आवंटी के कब्जा काश्त मे रही है तो भी आज मकान बना होना तथा भूमि पर कब्जा काश्त नही होना यह तथ्य कैसे स्पष्ट होगा क्योंकि ख0 गिरदावरी संम्वत 2035–2038सम्वत 2047–2050 सं0 2051–2054 तथा सम्वत 2055–2058 से लगातार आवंटी का कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.7.2017 से स्पष्ट है कि राजस्व ऐजेन्सीयां द्वारा अपना कर्तव्य का निर्वहन नही करते हुये आवंटी के अधिकारों की रक्षा नही कर बेदखली कराने पर आमादा है, जो बदनियति को प्रकट करता है। जिला कलक्टर बूंदी ने भी प्रकरण मे निर्णय पारित करने से पूर्व यह नही देखा कि जिस भूमि के संबध मे वह निर्णय पारित कर रहे है उसकी 43 साल पहले के तथ्य क्या है। निश्चित रूप से जिला कलक्टर बूंदी ने भी तथ्यों को समझने मे भारी भूल की है क्योंकि वर्ष 1975 से लेकर 2017 तक उक्त विवेचित कृषि भूमि के संबध मे किसी भी राजस्व ऐजेन्सी द्वारा कोई प्रश्न नही उठाया गया है। ख0 गिरदावरी संम्वत 2035–2038 स0 2047–2050 सं0 2051–2054 तथा सम्वत 2055–2058 से लगातार काश्त आंवटी तथा उसके पश्चात उसके विधिक वारिसान का चला आ रहा है। उक्त आराजी बारानी किस्म की है, जिस पर 10 वर्षो के पश्चात स्वतः ही आवंटी को खातेदारी मिल जाती है किन्तु उक्त आवंटित भूमि की आवंटी को आज तक खातेदारी नही दी गई यह भी संबधित राजस्व ऐजेन्सीयों की लापरवाही की पराकाष्ठा है। जबकि आवंटी रूपा को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। ऐसी स्थिति मे इस भूमि पर उत्पन्न अधिकारों को बिना सक्षम आदेश के समाप्त/अन्तरण नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो को समझने मे भूल की है। इस संबध मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरसी 2000 पेज 597, आरआरटी 2007 (2) पेज 1430 आरआरटी 2009 (1) पेज 220 आरआरटी 2009 (1) पेज 238 डीएनजे 2017 (रेवे.) पेज 155 आरआरटी 2006–07 पेज 273 आरआरटी 2009 (1) पेज 453 आरआरडी 2007 पेज 480 चस्पा होते है। साथ ही ऐसे प्रकरणो की पुनरावृत्ति नही हो यह न्यायालय यह भी निर्देश देती है कि " जिला कलक्टर स्वयं इस तथ्य की जांच करे कि इस प्रकार यह लापरवाही पूर्ण कार्यवाही पटवारी/तहसीलदार द्वारा क्यों आरम्भ की गई। संबधित पटवारी/तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अवगत कराया जावे। जब आवंटी का मुताबिक राजस्व रिकार्ड शुरू से ही कब्जा काश्त है तो आज क्यों यह तथ्य सामने लाया जा रहा है कि "उक्त कृषि भूमि पर आवंटी अथवा उसके विधिक वारिसान का कब्जा काश्त नही है"। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायहित मे प्रकरण मे हमारा यह भी अभिमत है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि पर आवंटी को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जावे। साथ ही धारा 183–बी के तहत कार्यवाही करके उसके अधिकारों की रक्षा की जावे। इन निर्देशों की 3 माह की अवधि मे पालना कर इस न्यायालय को अवगत करावे। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण सं0 52/प्रार्थना पत्र/18 सरकार बनाम स्व0 रूपा जरिये का.मु. रामा आदि मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 17.04.2018 अपास्त किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

9/11/2020

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा